

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 जून, 2005

का.आ. 820(अ).—केन्द्रीय सरकार, रासायनिक आयुध अभिसमय अधिनियम, 2000 (2000 का 34) की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तारीख 14 जनवरी, 1993 को पेरिस में भारत सरकार की ओर से रासायनिक आयुधों के विकास, उत्पादन, संचयन और उपयोग का प्रतिषेध करने और उनके नष्ट करने के संबंध में हस्ताक्षरित अभिसमय के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए राष्ट्रीय प्राधिकरण के रूप में ज्ञात एक प्राधिकरण की स्थापना करती है।

2. यह अधिसूचना तारीख 1 जुलाई, 2005 को प्रवृत्त होगी।

[सं. 40020/14/2002-सी.एच. I]

आर. आई. सिंह, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th June, 2005

S.O. 820(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 6 of the Chemical Weapons Convention Act, 2000 (34 of 2000), the Central Government establishes an Authority to be known as the National Authority for implementing the provisions of the Convention on the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling and Use of the Chemical Weapons and on their Destruction, signed on behalf of the Government of India at Paris on the 14th day of January, 1993.

2. This notification shall come into force on the 1st day of July, 2005.

[No. 40020/14/2002-CH. I]

R. I. SINGH, Jt. Secy.